महत्वपूर्ण एवं खास

भारत निर्वाचन आयोग करवा रहा है नेशनल वोटर अवेयर्नेस कांटेस्ट

15 मार्च तक भेज सकेंगे प्रविष्टियां

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मत के महत्व को रचनात्मकता के माध्यम से प्रदर्शित करने हेतु भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए मतदाता जागरूकता पर आधारित शीर्षक पर नेशनल वोटर अवेयर्नेस कांटेस्ट का आयोजन 15 मार्च 2022 तक 5 श्रेणियों में किया जाएगा। जिसमें क्वीज, विडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाईन, गीत एवं नारा लेखन कांटेस्ट को शामिल किया गया है। कांटेस्ट में भाग लेने हेतु इच्छुक प्रत्येक प्रतिभागी उपरोक्तानुसार श्रेणियों में अपनी रचनाओं को ई-मेल आईडी Voter-contes@eci.gov.in पर सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर सकते हैं।

3 जोड़ी एक्सप्रेस गाडिय़ों में अतिरिक्त कोच की सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 03 जोड़ी एक्सप्रेस गाडिय़ों में एक-एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन 03 गाडिय़ों में अतिरिक्त कोच की सुविधा दी जाएगी उनमें क्रमश: गाड़ी संख्या 22647/22648 कोरबा-कोचुवेली-कोरबा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा कोरबा से 23 एवं 26 फरवरी को तथा कोचुवेली से 28 फरवरी एवं 03 मार्च को उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 20847/20848 दुर्ग-ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 02,09 व 16 मार्च को तथा ऊधमपुर से 03,10 व 17 मार्च को उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 18213/18214 दुर्ग-अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 06 व 13 मार्च को तथा अजमेर से 07 व 14 मार्च को उपलब्ध रहेगी।

प्रदेश के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा या छींटे पड़ने की संभावना

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के उत्तरी भाग में गुरूवार को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा या छींटे पडऩे की संभावना है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। अरब सागर से आने वाले पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आने वाले गर्म और नमी युक्त दक्षिणी हवाओं का संगम स्थल अभी पूर्वी मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में 24 फरवरी को प्रदेश के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पडऩे की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि संभावित है।

बीएसएफ के जवानों ने 9 नग पाइप बम बरामद किया

कांकेर (आरएनएस)। जिले के धुर नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जुमड़ा के जंगलों में नक्सलियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुचाने की नीयत से लगाये गये 09 नग पाइप बम सर्चिंग के दौरान बीएसएफ के जवानों ने बरामद कर नक्सलियों के नापाक मंसूबो पर पानी फेर दिया है। बीएसएफ के जवानों की टीम नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कोयलीबेड़ा इलाके में सर्चिंग पर निकली थी, इस दौरान जवानो को सूचना मिली कि नक्सलियों ने जुमड़ा के जंगलों में बड़ी संख्या में पाइप बम लगाकर रखे है, जिसके बाद बीएसएफ जवानो ने सावधानी पूर्वक इलाके का निरीक्षण कर दिया 10 से 15 किलो वजनी 09 पाइप बम बरामद किया है।

चिटफंड कम्पनी फाईन इंडिया सेल्स का डायरेक्टर मोहम्मद नासिर भुवनेश्वर से गिरफ्तार

- कोतवाली पुलिस ने 3 डायरेक्टर्स को राजनांदगांव व सूरजपुर से लाकर भेजा चुका है रिमांड पर
- निवेशकों से लाखों रुपये जमाकर कम्पनी बंद कर फरार थे डायरेक्टर्स

रायगढ़। चिटफंड के गोरखधंधे में अपनी गाढी कमाये डूबो चुके निवेशकों के रूपये वापस दिलाये जाने को लेकर प्रदेश के शासन के मंशानुरूप पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा द्वारा लंबित चिटफंड मामलों को लेकर काफी गंभीर है, वे स्वयं लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्रकरण के फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये एडिशनल एसपी लखन पटले को दिगर प्रांत पुलिस टीम भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडिशनल एसपी लखन पटले की निगरानी में कोतवाली पुलिस पिछले तीन माह में अथक प्रयास से राजनांदगांव, सूरजपुर के बाद भुवनेश्वर (ओडिशा) से फरार चिटफंड कम्पनी के डायरेक्टार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी प्रकार एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एएसपी लखन पटले, सीएसपी योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर अनेक ठगी प्रकरणों में सफलतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

धोखाधड़ी के संबंध में आवेदिका शिवकुमारी मिंज निवासी जवाहरभांठा रायगढ द्वारा थाना कोतवाली में फाईन इंडिया सेल्स प्रा.लि. चिटफंड कम्पनी के विरूद्ध लिखित शिकायत दिया गया था। कम्पनी में स्वयं शिवकुमारी मिंज द्वारा 60,000 रूपए , अनिल किशोर मिश्रा द्वारा 20,000 रूपए, शैलेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा 30,000 रूपए, दिव्या मिश्रा द्वारा 10,000 रूपए, लता मिश्रा द्वारा 20,000 रूपए जमा किया गया। कम्पनी द्वारा एक बार लाभांश देकर रायगढ़ के 05 निवेशकों के कुल 82,377 रूपए छल पूर्वक निवेश कराकर धोखाधडी किया गया है जिस संबंध में थाना कोतवाली में अप.क्र. 1044/2018 धारा 420, 120बी,467,468,471,34 IPC एवं प्राइज चीटस एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीमस (बेनिंग) एक्ट, 1978 की धारा 3,4,5,6 तथा छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधि. की धारा 6,10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

कोतवाली पुलिस मामले में दिनांक 03.02.2022 को कम्पनी के डायरेक्टर्स 1. भूपेन्द्र चतुर्वेदी डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, 2. दिवाकर सिन्हा, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, 91,3. शईद अहमद, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, तीनों 91 वाजिदपुर जजमाउ, कानपुर (उ0प्र0) 201080 DIN: 02196607 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर फरार डायरेक्टर आरोपी मोह. नासिर की गिरफ्तारी के लिये लगातार सूचनाएं प्राप्त की जा रही थी। आरोपी के भुवनेश्वर (ओडिशा) में छिपे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आरोपी को न्यायालय पेश करने हेतु विशेष न्यायाधीश महोदय रायगढ़ से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर कोतवाली थाने से एसआई नंदलाल पैंकरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ओडिशा जाकर आरोपी मोह. नासिर को सत्र न्यायाधीश भुवनेश्वर के कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर आज दिनांक 23.02.2022 रायगढ़ लाया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपी की विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। अन्य आरोपी जो घटना के बाद से फरार है, जिनकी पता तलाश सरगर्मी से जारी है जिसे जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जावेगा।

गिरफ्तार आरोपी मोह. नासिर पिता मो. मेइन पता पुरानी रोड़ जजमउ कानपुर नियर चुंगी थाना चकेरी कानपुर हाल विशेष जेल भुवनेश्वर ओडिशा बताया कि अपने साथी - मोहम्मद नसीर खान उम्र 46 वर्ष, श्यामा खुशीद उम्र 41 वर्ष, महेश बहादुर सिंग उम्र 44 वर्ष, शमशेद आलम उम्र 41 वर्ष, भूपेन्द्र चतुर्वेदी , दिवाकर सिन्हा, शईद अहमद के साथ मिलकर चिटफंड कम्पनी फाईन इंडिया सेल्स लिमि. में कई लोगों से लाखों रूपये निवेश अधिक रकम लाभ देने का झांसा देकर निवेश कराया गया था जिसके बाद कम्पनी अपनी शाखाएं बंद कर फरार थे। आरोपी मोह. नासिरअपने हिस्से के रूपये फिल्म बनाने में लगाना बताया है।

आयुष विभाग ने महापल्ली में लगाया स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, 264 मरीजों का हुआ उपचार

रायगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ.मीरा भगत के मार्गदर्शन में आयुर्वेद ग्राम महापल्ली, रायगढ़ में एक दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन 23 फरवरी को संपन्न हुआ।

शासकीय प्राथमिक शाला महापल्ली, रायगढ़ के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक महापल्ली टंकधर प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर अशोक निषाद, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 07, रायगढ़, अनंत राम चौहान, सरपंच ग्राम पंचायत महापल्ली, मंजूलता साहू उपसरपंच ग्राम पंचायत महापल्ली, मुनूराम प्रधान योग शिक्षक भी मौजूद थे।

सेवानिवृत्त शिक्षक टंकधर प्रधान ने अपने उद्बोधन में आयुर्वेद के उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण तथा रोगी व्यक्ति के रोग के उन्मूलन में संयमित जीवनशैली अपनाने तथा दिनचर्या तथा ऋतुचर्या अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। शिविर में आयुर्वेद के 209 मरीज तथा होम्योपैथी से 55 मरीजों सहित कुल 264 मरीजों का नि:शुल्क इलाज के साथ दवा वितरण किया गया। शिविर स्थल पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने संबंधी काढ़ा का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. सुभाष चंद्र झा, डॉ.यू.आर.मोधिया, डॉ.विकास कुमार विक्रांत, डॉ.रजनी पटेल, चिकित्सक होम्योपैथी डॉ. मुकेश साहू, विभागीय कर्मचारी हरिशंकर नायक, विनय कुमार वर्मा, अनिल कुमार कंवर, हीरालाल, मुकेश नायक, विश्वबंधु सोनी, रुपेश यादव तथा मीणा महंत उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सरिया पुलिस ने 72 घंटे के भीतर आरोपी को किया गरफ्तार

रायगढ़। जिले के सरिया थाना में दुष्कर्म की रिपोर्ट पर सरिया पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी लिए उसके गांव व अन्य स्थानों पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देश एवं एडिशनल एसपी लखन पटेल व एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर सरिया पुलिस ने 72 घंटे के भीतर प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया है।

दिनांक 20/02/2022 को घटना के संबंध में पीड़िता की ओर से उसके परिजन द्वारा आरोपी नवीन खड़िया (20 साल) के विरूद्ध लिखित आवेदन दिया गया कि दिनांक 18-19.02.2022 के दरम्यानी रात बालिका को घर के बाहर से नवीन खडिया बुलाकर गांव के एक सुने मकान में जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसे बदनाम कर दुंगा कहकर धमकी देकर भागा कर अपने साथ ले जा रहा था जिसे रायगढ़ रेल्वे स्टेशन से पकड़कर गांव लाये। आरोपी नवीन खड़िया पर अप.क्र. 36/2022 धारा 363, 366, 376 IPC 4, 6 Pocso Act के तहत दर्ज किया गया। आरोपो को थाना प्रभारी सरिया रायगढ़ के चक्रधरनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसी दिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामला नाबालिक बालिका से संबंधित होने से प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी एसआई के.के. पटेल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर केस डायरी अपने हस्ते लेकर जांच शुरू किया गया जिनके द्वारा पीड़िता, आरोपी का मुलाहिजा, पीड़िता का न्यायालयीन कथन, गवाहों का कथन जप्त स्लाइड आदि को फॉरेंसिक जांच के लिये भेजा गया और मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्य को एकत्र कर सुपरविजन अधिकारी से डायरी का अवलोकन कराकर 72 घंटे के भीतर पूरी जांच कर चालान न्यायालय पेश किया गया है।

एसपी अभिषेक मीणा द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को पोक्सो एक्ट के मामलों में समय सीमा के भीतर चला न्यायालय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। एडिशनल एसपी लखन पटले द्वारा थाना प्रभारी को मामले में माननीय न्यायालय द्वारा जारी समंस, वारंट की समय पर तामिली एवं न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है जिससे पीडिता को शीघ्र न्याय मिल पाये।

मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले तीन आरेपी गिरफ्तार

- आरोपियों से 12 हजार रुपए से अधिक के मोबाइल व पाट्र्स जब्त
- 24 घंटे के भीतर जूटमिल पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी कर चोरी गये पूरी सम्पत्ति को किया बरामद

रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल क्षेत्र के ग्राम झलमला चौंक स्थित मोबाइल शॉप चलाने वाले नारायण मेहर द्वारा दिनांक 22.02.2022 के शाम दुकान में चोरी की जानकारी चौकी प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू को दिया गया। चौकी प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा तथा एडिशनल एसपी लखन पटले एवं सीएसपी योगेश पटेल के मार्गदर्शन पर अपने स्टाफ एवं मुखबिरों को माल मुल्जिम की पतासाजी के लिये लगाया गया जिनके प्रयास से 24 घंटे के भीतर चोरी गई सारी मशरूका के साथ तीन चोर पकड़े गये, जिन्हें न्यायालय बाद जेल दाखिल किया गया है।

मोबाइल शॉप के संचालक नारायण मेहर (उम्र 28 वर्ष) निवासी ग्राम मिड़मिड़ा दिनांक 22.02.2022 को पुलिस चौकी जूटमिल आकर चौकी प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू को बताया कि इसकी रतन मोबाईल नाम से ग्राम झलमला मेन रोड पर मोबाइल दुकान है। दिनांक 15.02.2022 के शाम दुकान बंद कर रिस्तेदारी के शादी कार्यक्रम में शामिल होने चला गया। जिसके बाद दिनांक 21.02.2022 को सुबह करीब 10:00 बजे दुकान को खोलने गया तो देखा दुकान का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात चोर मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर मोबाईल दुकान मे रखे मोबाईल तथा अन्य सामानों की चोरी कर ले गये थे। जूटमिल पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों पर अप.क्र. 376/2022 धारा 457 ,380 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

चौकी प्रभारी टीआई उत्तम साहू द्वारा अपने स्टाफ एवं मुखबिर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिये लगाया गया जिस पर उन्हें मुखबिर से जानकारी मिली कि जूटमिल क्षेत्र के दो-तीन लड़के पुसौर काम करने झलमला रोड़ से जाते हैं जिन्हें कई बार रात में संदिग्ध देखा गया है। चौकी प्रभारी के निर्देशन पर जूटमिल स्टाफ द्वारा तीन संदिग्ध- अमीर खान उर्फ मोनू निवासी मौदहापारा, मो. अलताफ निवासी बाजीरावपारा और उसके दोस्त मो. शब्बीर निवासी पंजरी प्लांट को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ किया गया जिस पर तीनों मिलकर रात के अंधेरे में पत्थर से दूकान का ताला तोड़कर पुराने मोबाइल, मोबाइल कव्हर,चार्जर आदि की चोरी करना स्वीकार किये आरोपियों के मेमोरेंडम पर - मोबाईल बनाने का 02 नग मशीन हाट गन, 02 नग डीसी मशीन, 07 नग मोबाईल चार्ज, 40 नग मोबाईल कवर, 05 नग पुराना मोबाईल कुल कीमत करीब 12,000/- रुपये से अधिक की सम्पत्ति की बरामदगी किया गया है। तीनों आरोपी- (1) अमीर खान उर्फ मोनू पिता स्व. बब्लू खान 32 वर्ष निवासी मौदहापारा चौकी जूटमिल (2) मो. अलताफ पिता मो. असलम 23 साल निवासी बाजीरावपारा चौकी जूटमिल (3) मो. शब्बीर पिता मो. शगीर आलम उम्र 23 साल निवासी पंजरी प्लांट थाना चक्रधरनगर को नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर पेश किया गया जहां जेल वारंट पर तीनों आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है।

24 घंटे के भीतर माल मुल्जिम की पतासाजी में चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक उत्तम साहू, प्रधान आरक्षक मो.दिलदार कुरैशी, नरसिंह यादव, आरक्षक बनारसी सिदार, सत्या यादव, जितेन्द्र दुबे, विनय तिवारी, सतीश लकड़ा, सरोज सिदार, हेमंत चन्द्रा की सराहनीय भूमिका रही है।

नक्सलियों ने एक मालगाड़ी के इंजन को किया आग के हवाले

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के भांसी थाना क्षेत्र अंर्तगत भांसी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार की रात 09 बजे किरंदुल-विशाखापट्टनम केके रेल लाइन पर डेढ़ सौ से अधिक की संख्या में पहुंचे नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिविजन कमेटी एवं भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सशस्त्र नक्सलियों ने एक मालगाड़ी के इंजन को आग के हवाले कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी) के बचेली खदान से ट्रेन नंबर- केएमआइूएसएल- 2/जी9 एमयू लोको नंबर -33400/41553 में लौह अयस्क लेकर कोरापुट के लोको पायल एके पटेल व असिस्टेंट लोको पायल आरके कुमार निकले थे। दंतेवाड़ा जिले के भांसी रेलवे स्टेशन के पास लगभग 150 से ज्यादा नक्सली रेलवे ट्रैक पर दिखाई दिए। नक्सलियों ने ट्रैक पर बैनर लगा रखे थे, चालक ने किसी आशंका में मालगाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। जैसे ही मालगाड़ी रुकी नक्सलियों ने दोनों पायलट को बंधक बना लिया। उनसे वॉकी-टॉकी समेत मोबाइल जब्त कर लिया। इसके बाद नक्सलियों ने लोको (इंजन) में आग लगा दी और जंगल की तरफ चले गए।

नक्सलियों ने जिस क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया है, वहां नक्सली कई बार ट्रेन को डिरेल्ड कर चुके हैं। मंगलवार की रात बड़ी संख्या में पहुंचे हथियारबंद नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम देकर पर्चे भी छोड़े हैं। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिविजन कमेटी व भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने पर्चे में नया भारत के नाम से देश के किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं व मुसलमानों को विनाश करने का आरोप लगाया है।

एनएसएस कैम्प में छात्र-छात्राओं को किया गया अपराधों के प्रति जागरूक

- कार्यक्रम में रक्षा टीम ने छात्राओं को बताये आत्मरक्षा के गुर

रायगढ़। कोतरारोड़ थानाक्षेत्र अन्तर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारापुर में सात दिवसीय एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) शिविर लगाया गया। आज दिनांक 23.02.2022 को कोतरारोड़ एवं पुलिस रक्षा टीम के सदस्यगण स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को अपराधों के संबंध में जागरूक किया गया साथ ही रक्षा टीम के सदस्यगण द्वारा बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के तरीके तथा अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में बताया गया।

कार्यक्रम में शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के कुलपति डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया, डिप्टी कलेक्टर कंवर तथा शिक्षक एवं विद्यार्थीगण मौजूद थे। विद्यार्थियों को कोतरारोड़ थाने से सहायक उप निरीक्षक डी.पी. भारद्वाज एवं रक्षा टीम की प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा द्वारा सायबर अपराध ऑनलाइन ठगी, एटीएम ठगी, चिटफंड कंपनी द्वारा ठगी के बारे में जानकारी देकर इससे बचने के उपाय भी बताया गया।

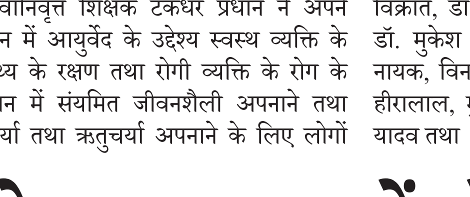

प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा द्वारा बाल विवाह, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और बच्चों के ऊपर होने वाली लैंगिक अपराध, बाल अधिकार, बाल मजदूरी और मानव तस्करी के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया एवं छात्रों को कानून द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को "अभिव्यक्ति ऐप" के बारे में बताया गया और उसके इस्तेमाल के फायदे बताये गया। महिला रक्षा टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का डेमो कर अपनी रक्षा करने के लिये भी प्रेरित किया गया है।

असाधारण कामों और नवीनतम तकनीकी ज्ञान से शिक्षा की अलख जगाती हैं शिक्षिका कुसुम

- शिक्षा विभाग की अधिकृत बेबसाइट में आज के हमारे नायक बनकर जिले को गौरवान्वित किया

रायगढ़। शिक्षा हमारे जीवन की बुनियाद है, जो हमें हर परिस्थितियों में सकारात्मक होने का भाव सिखाता है। अपने मंतव्यों और सिद्धांतो से समझौता किये बिना जीवन, संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के विविध आयामों को उजले दृष्टिकोण के साथ स्पर्श करना एक सफल एवं कामयाब शिक्षक की विशेषता है। आज हम एक ऐसे ही कामयाब शिक्षिका से रूबरू होने जा रहे हैं, जिन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा की मशाल को जलाए रखा है तथा पालक, बालक और समुदाय के बीच नाउम्मीदी में भी उम्मीद की किरण दिखाते हैं। कुसुम साहू एक ऐसे ही शिक्षिका हैं जो परम्परागत शिक्षक की छवि के बाहर काम किया है। ये सारे काम साधारण से प्रतीत होते हैं लेकिन यदि इनको गहराई से देखा जाए तो शिक्षा के समग्र विकास में योगदान के रूप मे इनका व्यापक असर है।

कोविड-19 के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद नौनिहालों के शिक्षा व्यवस्था में निरंतरता बनाये रखने शिक्षिका कुसुम साहू ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कोरोना संक्रमण की भयाक्रांत ने शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। विपदा के इस दौर में कुसुम साहू ने अपनी असाधारण कार्यों से शिक्षा में बदलाव के संवाहक बनी हैं। साहू विषम परिस्थितियों में भी चिंतनशील, सृजनशील, जुझारू शिक्षिका के रूप मे विशिष्ट स्थान बनाई हैं। कुसुम साहू तकनीकी के विविध विधाओं का प्रयोग अपनी पठन-पाठन में करती हैं जिससे बच्चों को मनोरंजक शिक्षा मिलती है तथा बच्चों के बीच करीबी रिश्ते बन जाता है। साहू शैक्षणिक गतिविधियों में वैज्ञानिक सोच, स्थानीय परिवेश का समावेश और रुचिकर गतिविधि आधारित ज्ञान का प्रयोग इन्हें अन्य शिक्षकों से अलहदा बनाती है। बोलती दीवार और कला का संसार, नये-नये प्रयोग से जुड़े नये अनुभव किताबी ज्ञान से बढ़कर जीवन कौशलों की बातें कुसुम साहू की अध्यापन की विशिष्टता है। विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों तक शैक्षणिक गतिविधियों को सुगमता से पहुंचाने की चुनौतियों के बीच छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुंहर दुआर और पढ़ाई हमर पारा जैसे वैकल्पिक नवाचारी शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से बच्चों की घरों की देहरी तक शिक्षा की किरण को पहुंचाने साहू कामयाब रही हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से शत-प्रतिशत बच्चों तक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को ले जाने शिक्षिका कुसुम साहू हरसंभव प्रयास करती हैं। लैपटॉप के माध्यम से नवीनतम तकनीकीयुक्त ज्ञान, स्पोकन इंग्लिश, गणितीय कौशल, पहाडा की नई विधा, कहानी, कविता के द्वारा विषयगत ज्ञान से रूबरू कराना शिक्षिका कुसुम साहू की प्राथमिकता है। वर्तमान में सौ दिन के पठन एवं गणितीय कौशल के अंतर्गत सप्तम सप्ताह के कार्यविधि में विविध गतिविधि आधारित शैक्षिक कार्यों का ऑडिओ ध्वीडियो बनाकर बेबसाइट में अपलोड कर आज के हमारे नायक के कॉलम में नायक के रूप मे चयनित होकर पूरे जिले को गौरान्वित किया है। बच्चों और विद्यालय के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली शिक्षिका कुसुम साहू खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बेटी बचाओ-बेटी पढाओं, कोरोना जागरूकता जैसे राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाती हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480